अभियान

महिला संगठनों द्वारा यौन हिंसा व मृत्युदंड विरोधी वक्तव्य

हम सभी छात्र, महिला संगठनों व प्रगतिशील समूहों के सदस्य तथा समस्त देश के ज़िम्मेदार नागरिक बेहद कड़े शब्दों में दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को 23 साल की लड़की के सामूहिक बलात्कार व मौत तथा उसके दोस्त के साथ हुई हिंसा की निंदा करते हैं। हम यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहते हैं कि बलात्कार व यौन हिंसा के अन्य रूप केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक राजनैतिक मुद्दा है जिससे हर नागरिक का सरोकार होना चाहिए। हमारी पुरज़ोर मांग है कि इस मामले तथा अन्य सभी केसों में इंसाफ़ किया जाए और अपराधियों को सज़ा मिले।

यह घटना अपने आप में अकेली नहीं है। इस देश में यौन हमले भयावह नियमितता से घटित होते हैं। आदिवासी व दलित महिला, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली विकलांग महिलाएं, हिजड़े, कोथी, ट्रांसजेंडर तथा यौन कर्मी वर्गों के ऊपर होने वाले यौन हमलों में अपराधी को विशेषतः दण्डाभाव रहता है— यह जग–ज़ाहिर है कि इनके द्वारा दर्ज यौन हिंसा की शिकायत नज़रअंदाज़ कर दी जाती हैं। हम चाहते हैं कि न्यायिक चक्र दिल्ली बस केस वाली वारदात के अलावा हम सबको ग्रसित करने वाली यौन हिंसा की महामारी पर भी तवज्जो दे। हमें ऐसी सज़ा का प्रावधान करने की ज़रूरत है जो इन जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले पुरुषों को डराकर रोक सके। हमारा उद्देश्य दण्ड विरोधी नहीं हैं बल्कि हम राज्य द्वारा मृत्युदण्ड दिए जाने के ख़िलाफ़ हैं। बलात्कार के मामलों में 26 प्रतिशत दोष सिद्धि दर की हकीकत इस बात का पुख्ता सबूत है कि देश में यौन हिंसा अपराधियों के लिए बड़ी संख्या में दण्डाभाव है जिसमें आरोपों से बरी होना भी शामिल है।

रोज़मर्रा के यौन हमलों के अन्य रूपों जैसे घूरना, ज़बरदस्ती छूना, छींटाकशी, पीछा करना, सीटी बजाना आदि के मूक गवाह भी हमारी संस्कृति में बलात्कार के प्रचलन में समान रूप से ज़िम्मेदार हैं। लिहाज़ा हम यौन हमलों को बर्दाश्त करने, इस पर ख़ामोश रहने तथा इस प्रकार की हिंसा को गौरवान्वित करने वाली संस्कृति की भी निंदा करते हैं।

हम उन सभी स्वरों का भी प्रतिरोध करते हैं जो महिलाओं व लड़कियों के लिए समाज में समान भागीदारी और घरों के अन्दर व बाहर यौन हमलों के ख़तरों से मुक्त जीवन जीने के अधिकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बजाए उन्हें 'सुरक्षा' के नाम पर कैद और नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं।

इस तरह के मामले में, जिसने पूरे देश में एक सार्वजनिक विरोध को हवा दी है और जिसमें सभी अपराधी हिरासत में ले लिए गए हैं हम उम्मीद करते है कि इंसाफ़ की बहाली होगी और आरोपियों को इस नृशंस अपराध के लिए कड़ी सज़ा मिलेगी। फिर भी हमारे लिए 'न्याय' की मांग में मृत्युदण्ड शामिल नहीं है जो कि यौन हिंसा के इन मामलों में न तो ठोस निवारक है और न ही समस्या का कोई प्रभावशाली व नैतिक हल। हम निम्न कारणों से मृत्युदण्ड के प्रावधान की मुखालफ़त कर रहे हैं:–

1. हम मानते हैं कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। हमारा आक्रोश हिंसा के किसी भी नए चक्र को जन्म नहीं दे सकता। हम हर उस हिंसा को 'जायज़' करार देने से इंकार करते हैं जो राज्य को हमारे नाम पर किसी की भी जान लेने का अधिकार प्रदान करे। बलात्कारियों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान करके राज्य द्वारा महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा से जुड़े जटिल सामाजिक–राजनैतिक सवालों की उपेक्षा की जा सकती है। मृत्युदण्ड का इस्तेमाल अक्सर वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है— इससे कुछ बदलता नहीं है बल्कि यह राज्य द्वारा नागरिकों को नियंत्रित करने के हथियार के रूप में काम करता है।

2. हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है जो साबित करें कि मृत्युदण्ड बलात्कार के अपराध को रोकने में मददगार निवारक हो सकता है। मौजूदा आंकड़े दर्शाते हैं कि बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर काफी कम है और इस बात की बड़ी संभावना है कि मृत्युदण्ड का प्रावधान इस दर को और अधिक गिरा देगा क्योंकि यह सज़ा 'रेयरैस्ट ऑफ़ रेयर' परिस्थितियों में ही दी जाती है। सज़ा की कठोरता से अधिक सज़ा को सुनिश्चित करना अपराध निवारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।
3. संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों में यह देखा गया है कि मृत्युदण्ड की सज़ा पाने वालों में अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुषों की संख्या विषम रूप से बड़ी होती है। भारत के संदर्भ में मृत्युदंड की सज़ा वाले अपराधों की समीक्षा में यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इन क़ानूनों को मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीकों से विशेषतः सुविधाहीन समुदायों व धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यकों पर लागू किया जाता है। यह एक प्रमुख और वास्तविक चिंता का विषय है क्योंकि एक ही अपराध के लिए अलग–अलग सज़ा की संभावना भी अपने आप में घोर अन्याय है।
4. बलात्कारियों के लिए मौत की सज़ा की दलील इस सोच पर आधारित है कि बलात्कार मौत से भी बद्तर होता है। 'इज़्ज़त' से जुड़े पितृसत्तात्मक मानक हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि बलात्कार औरत के साथ घटने वाली सबसे डरावनी घटना है। जिसके साथ बलात्कार हुआ है वह एक 'विध्वस्थ', 'लुटी' हुई औरत है जो अपना 'सम्मान' खो चुकी है और जिसके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इस रूढ़िवादी छवि को दृढ़ चुनौती देना बेहद ज़रूरी है। हम मानते हैं कि बलात्कार पितृसत्ता का एक हथियार है, हिंसा का एक रूप है जिसका नैतिकता, चरित्र और बर्ताव से कोई लेना–देना नहीं है।
5. बड़ी संख्या में औरतें अपने जानकार, नज़दीकी दोस्तों, साथियों या परिवार के सदस्यों के हाथों यौन हिंसा झेलती हैं। अपने खुद के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करने की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक यातना का सामना कौन कर सकता है? क्या विवाह के अन्दर पति द्वारा किए गए बलात्कार (जो अभी तक क़ानूनी तौर पर मान्य नहीं है) को कभी भी सैद्धान्तिक रूप से उसी दण्डात्मक नज़रिए से आंका जा सकेगा?
6. राज्य अक्सर अपने लिए 'हत्या का अधिकार' आरक्षित रखता है – सशस्त्र सेना, पैरामिलिट्री तथा पुलिस के माध्यम से। हम मणिपुर में 2004 में असम राइफ़ल्स द्वारा थंगजम मनोरमा की बलात्कार, यातना व हत्या या 2009 में शोपियन (कश्मीर) में नीलोफर व आसिया के अपहरण, सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटनाओं को कैसे भूल सकते हैं? राज्य को अत्याधिक सत्ता देना फिर चाहे वह पुलिस के पास देखते ही गोली मार देने की सत्ता हो या न्यायालय को मौत की सज़ा सुनाने की आज़ादी हो, अपराध कम करने के लिए कारगर हल नहीं हो सकता।

   इसके अलावा, मृत्यदण्ड के प्रावधान के चलते, 'क़ानून के संरक्षक' यह निश्चित करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी शिकायत दर्ज न हो या फिर वह पूरी कोशिश करेंगे कि मामले में इंसाफ़ न हो सके। सोनी सोरी का मामला (जिसे पिछले वर्ष पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था) तमाम प्रचार के बावजूद आज भी जस का तस है और वह छत्तीसगढ़ जेल से अपना संघर्ष जारी रखे है।
7. जैसा कि हम जानते हैं ऐसे मामले में जहां अपराधी आधिकारिक दर्जे का है (जैसे हिरासत में बलात्कार, जाति व धार्मिक हिंसा के मामलों में) दोषसिद्धि मुश्किल होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से मौत की सज़ा के प्रावधान में अपराध को साबित करना लगभग असंभव ही होगा।

   हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले सभी लोग निम्न मांगें करते हैं –

   - औरतों व लड़कियों के लिए अधिक गरिमा, समानता, आज़ादी व अधिकारों की मांग, एक ऐसे समाज से जो हर कदम पर उनकी कार्रवाइयों पर सवाल उठाने व नियंत्रण करने के प्रयास न करे।
   - यौन हमलों/हिंसा की संघर्षशील महिला के लिए तत्कालिक क़ानूनी, चिकित्सीय, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा दीर्घकालीन पुनर्वास उपाय।

- औरतों के लिए शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान जिसमें अच्छी रोशनी वाले बस स्टॉप, पारपथ, हैल्प लाईन व आपातकालीन सेवाएं शामिल हों।
- यातायात सेवाओं (सार्वजनिक, निजी, ठेके पर सेवाएं) को सुरक्षित करने तथा सभी तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए उनका प्रभावशाली पंजीकरण, नियंत्रण व निगरानी।
- राज्य तथा उसके विभिन्न संस्थानों, जिसमें पुलिस भी शामिल है, द्वारा नियोजित व नियुक्त सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जेंडर संवेदनशील कोर्स को अनिवार्य बनाना।
- पुलिस पर सार्वजनिक जगहों को उत्पीड़न, छेड़छाड़ व यौन हमलों/हिंसा से सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें खुद शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं पर यौन हमले/उत्पीड़न करना बंद करना होगा। उन्हें सभी एफ.आई.आर. दर्ज करके शिकायतों पर कार्रवाई करनी होगी। सभी पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं तथा मुलज़िम पुलिस कर्मचारियों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई की जाए।
- समस्त देश में बलात्कार तथा यौन हिंसा के मामलों के निपटारे के लिए 'फ़ास्ट ट्रैक' अदालतें फौरन स्थापित की जाएं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन अदालतों में कार्रवाई शुरू करने को अपनी प्राथमिकता बनाए। छह महीने के अंदर मामले का फ़ैसला किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने बार–बार यह साबित किया है कि यह संस्थान महिलाओं के हितों के विरुद्ध काम करता रहा है। महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मुद्दों को सम्बोधित करने के आदेश को पूरा करने में आयोग की असमर्थता, आयोग की अध्यक्षा द्वारा दिए गए वक्तव्यों के समस्यापूर्ण स्वभाव तथा आयोग की निरी निष्क्रियता को देखते हुए यह आवश्यक है कि इसका पुनरीक्षण व समीक्षा जल्द से जल्द की जाए।
- राज्य देश के विभिन्न हिस्सों ख़ासकर कश्मीर, पूर्वोत्तर व छत्तीसगढ़ में हिरासत में औरतों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा की सच्चाई को स्वीकार करे। सरकार द्वारा सभी विचाराधीन मामलों में तात्कालिक कार्रवाई हो तथा मुजरिमों को सज़ा दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हिंसा की ये वारदातें दोबारा दोहराई न जा सकें।
- जहां तक आपराधिक क़ानून (संशोधन) बिल 2012 का सवाल है महिला समूहों ने अपने ब्यौरेवार सुझाव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए हैं। हम इस बात को दृढ़ता से रेखांकित करते हैं कि इस क़ानून को इसके मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनेक गंभीर खामियां व त्रुटियां हैं। कुछ प्रमुख बिन्दु निम्न हैं:–
- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में सहमति की दोषपूर्ण परिभाषा में कोई संशोधन नहीं किया गया है जो महिलाओं के हितों की विरोधी है।
- यौन हमले/हिंसा के अपराध को लिंग निरपेक्ष बनाना, अपराधी की पहचान को भी लिंग निरपेक्ष बना देता है। हमारी मांग है कि अपराधी की परिभाषा लिंग विशिष्ट तथा पुरुषों तक सीमित होनी चाहिए। यौन हिंसा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अपना निशाना बनाती है और क़ानूनी सुधार में इस बात को सम्बोधित किया जाना चाहिए।
- अपने मौजूदा स्वरूप में यह विधेयक यौन हमले/हिंसा के क्रमबद्ध व संरचनात्मक स्वभाव, जो आघात, चोट, क्षति, अपमान व मानहानि के सिद्धांत पर आधारित है को मान्यता नहीं देता। विधेयक में यौन हमले, संगीन यौन हमले तथा यौन अपराध की और निर्धारित श्रेणियों को भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।
- यह सुरक्षाकर्मियों द्वारा यौन हिंसा/हमले को संगीन यौन अपराध की विशिष्ट श्रेणी में शामिल नहीं करता। हमारी प्रखर मांग है कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा यौन अपराधों को धारा 376 (2) में जोड़ा जाए।

तारीख: 23/12/2012